कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-56/2017-18/

दिनांक : /11/2017

सेवा में,

अधशासी अधकारी
नगर पालका परिषद, रामनगर
जनपद- नैनीताल

वषय : नगर पालका परिषद, रामनगर का वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे 01 प्रस्तर, भाग-2(ब) में 06 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलत कया जाना सम्भावत है। भाग-2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 56/2017-18/ दिनांक : /11/2017

प्रतिलप निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत :

1- सचव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-2(अ) के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।
2- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडट) निदेशालय, द्वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्राचीश सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री डी.पी.लखेड़ा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक **31.08.2012** से **04.09.2012** तक संपादित की गयी थी। जिसमें माह **04/2009** से **03/2012** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **2.431 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **54,787 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **15**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **12 बैठकें प्रतिवर्ष**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **95**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **451 दुकानें, 01 कार्यालय भवन, 01 पुस्तकालय एवं सामुदायिक भवन आदि |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, नैनीताल को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	2663104	4322043	73033923	71447827	10029000	9362603	0	4249200	0	4988440
2015-16	4249200	4988440	78756487	78543817	9633000	13026000	0	4461870	0	1595440
2016-17	4461870	1595440	85364400	84963639	11369000	9339512	0	4862631	0	3624928
कुल योग			**237154810**	**234955283**	**31031000**	**31728115**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, नैनीताल का वर्ष 2012-13 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1537250	178000	1715250	1715250	0
2	राज्य वित्त आयोग	847000	60578497	61425497	48514556	12910941
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	विशेष योजना अनुदान	0	0	0	0	0
6	विधायक/सांसद निधि	0	295500	295500	270336	25164
7	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1599921	19632560	21232481	18051235	3181246
	कुल योग	**3984171**	**80684557**	**84668728**	**68551377**	**16117351**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, नैनीताल का वर्ष 2013-14 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	6384000	6384000	6384000	0
2	राज्य वित्त आयोग	12910941	57732000	70642941	68291808	2351133
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	विशेष योजना अनुदान	0	4448000	4448000	175957	4272043
6	विधायक/सांसद निधि	25164	50000	75164	25164	50000
7	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	3181246	13138262	16319508	16007537	311971
	कुल योग	**16117351**	**81752262**	**97869613**	**90884466**	**6985147**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, नैनीताल का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	10029000	10029000	6686000	3343000
2	राज्य वित्त आयोग	2351133	57732000	60083133	57181880	2901253
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	विशेष योजना अनुदान	4272043	0	4272043	2676603	1595440
6	विधायक/सांसद निधि	50000	0	50000	0	50000
7	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	311971	15301923	15613894	14265947	1347947
	कुल योग	**6985147**	**83062923**	**90048070**	**80810430**	**9237640**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, नैनीताल का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	3343000	9633000	12976000	12976000	0
2	राज्य वित्त आयोग	2901253	57732000	60633253	56775401	3857852
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	विशेष योजना अनुदान	1595440	0	1595440	0	1595440
6	विधायक/सांसद निधि	50000	0	50000	50000	0
7	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1347947	21024487	22372434	21768416	604018
	कुल योग	**9237640**	**88389487**	**97627127**	**91569817**	**6057310**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, नैनीताल का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	8541000	8541000	6253072	2287928
2	राज्य वित्त आयोग	3857852	57732000	61589852	57409194	4180658
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	2828000	2828000	1491000	1337000
5	विशेष योजना अनुदान	1595440	0	1595440	1595440	0
6	विधायक/सांसद निधि	0	0	0	0	0
7	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	604018	27632400	28236418	27554445	681973
	कुल योग	**6057310**	**96733400**	**102790710**	**94303151**	**8487559**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

(ii) इकाई द्वारा निर्माण कार्य पंजिका नहीं बनाई जा रही है |

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, नैनीताल का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	10029000	10029000	6686000	3343000
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	3343000	9633000	12976000	12976000	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	8541000	8541000	6253072	2287928
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	2828000	2828000	1491000	1337000

भाग दो 'अ'

प्रस्तर 1: उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य के आवंटन से कार्य की लागत में `4.76 लाख की वृद्धि |

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 3(10) में प्रावधानित है कि न्यूनतम दरों का लाभ लेने के लिए यथासाध्य अधिकतम मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाय, अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के अंकलित मूल्य के संदर्भ मे अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे छोटे भागो मे विभक्त किया जाएगा।

अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 13 (1) मे प्रावधानित है कि रुपये 25 लाख अथवा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्रो में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाय। रुपये 25 लाख से कम लागत वाले सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्रो और विशेष मामले मे व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाए। नियम 13(2) के अनुसार निविदा पृछा राज्य सरकार/ विभाग के वैबसाइट पर भी प्रकाशित की जाए।

नियम 29 (ग्यारह) में प्रावधानित है, कि निर्माण कार्य का अनुश्रवण, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयत सुनिश्चित की जाय।

इकाई की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2017) में निर्माण कार्य संबंधी पत्रवालियों की जांच में देखा गया, कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 3 (10) के प्रावधानों के विरुद्ध केंद्रीय वित्त आयोग (14 वां), राज्य वित्त आयोग एवं पालिका निधि अंतर्गत कराये गए निर्माण कार्यो को तोड़कर संपादित कराया गया था। राज्य वित्त आयोग एवं पालिका निधि अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानो का निर्माण कार्य जिसकी कुल आंगणित लागत रुपये 58.49 लाख थी, को 04 टुकड़ो में विभाजित किया गया था (जॉब 1 से जॉब 4 तक) तथा केंद्रीय वित्त आयोग (14 वां) अंतर्गत मोहल्ला खतड़ी ऊंट पड़ाव स्थित नाला निर्माण कार्य को जिसकी कुल आंगणित लागत रुपये 48.87 लाख थी, को 06 टुकड़ो में विभाजित कर संपादित कराया गया था। कार्यो के अंकलित लागत, आवंटन एवं स्वीकृत लागत का विवरण संलग्नक "क" मे वर्णित है।

अधिप्राप्ति नियमावली के अनुपालन न कर कार्य को टुकड़ो में आवंटन किए जाने से आवंटित कार्यो की निविदाएँ अलग अलग दरो से प्रतिशत कमी के आधार पर प्राप्त हुई जिसे इकाई द्वारा परक्रामण (निगोसियसन) अथवा अनुश्रवित कर अधिकतम कमी के दर पर नहीं लाया गया जिससे इकाई को कुल रुपये 4.76 लाख[1]के अधिक व्यय पर कार्य को संपादित कराना पड़ा।

[1]मोहल्ला खतड़ी ऊंटपड़ाओ स्थित नाला निर्माण कार्य: 4.58 लाख तथा ट्रांसपोर्ट नगर मे दुकानों का निर्माण कार्य: 0.18 लाख

कार्य हेतु गठित अनुबंध के प्रस्तर 11 के अनुपालन में कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जांच के संबंध में अभिलेख पत्रावली मे अनुपलब्ध थे। निर्माण कार्य के अनुश्रवण, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित किए जाने संबंधी उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किए जाने संबंधी अभिलेख पत्रावली मे अनुपलब्ध थे।

इस प्रकार इकाई द्वारा केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोग निधि अंतर्गत दो कार्यो को नियम विरुद्ध तरीके से विभाजित कर टुकड़ो मे संपादित कराया गया, कार्यों मे सामग्री की जांच तथा अनुश्रवण संबंधी दायित्यों का निर्वहन नहीं किया गया तथा कार्यो के आवंटन संबंधी त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने से इकाई को उन कार्यो पर रुपये 4.76 लाख अधिक व्यय करना पड़ा।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य मे कार्य स्थल के सम्यक सर्वे के उपरांत अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>संलग्नक 'क '</u>

(रुपये लाख मे)

मोहल्ला खतड़ी ऊंटपड़ाओ स्थित नाला निर्माण कार्य							
जॉब संख्या	अंकलित राशि	निविदा/ कार्य आदेश	प्राप्त निविदा की संख्या	कार्य का आवंटन आंगणन से कम पर		ठेकेदार का नाम	आवंटन कि प्रक्रिया के फलस्वरूप इकाई को हानि (जॉब सं: 4,5,6 की तुलना मे)
				प्रतिशत कम	राशि रुपये मे		
01	8.14	11/2015	03	01	8.06	श्री मनीष अग्रवाल	1.55 (19)
02	8.45	-	03	1.01	8.36	श्री हेमचन्द्र ननवाल	1.60 (19)
03	7.94	-	03	02	7.78	श्री अफजल खान	1.43 (18)
04	7.94	-	07	20.02	6.35	श्री फख़रुद्दीन	-
05	8.32	-	08	20.10	6.65	-	-
06	8.08	-	07	20.01	6.46	-	-
योग :	**48.87**			**(01 से 20.10 प्रतिशत कम पर)**	**43.66**		**4.58**
ट्रांसपोर्ट नगर मे दुकानों का निर्माण कार्य							
01	17.55	ओक्टोबर /नवम्बर 2014	05	12.60	15.34	श्री दिनेश चन्द्र तिवारी	0.02
02	15.05	-	04	12.70	13.14	----	-
03	12.99	-	03	12.11	11.42	श्री फख़रुद्दीन	0.08
04	12.90	-	03	12.11	11.34	--	0.08
				(12.11 से 12.70 प्रतिशत कम पर)			
योग	**58.49**				**51.24**		**0.18**

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1– रू0 34.70 लाख मूल्य के विधुत सामग्री के क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 13 (1) के अनुसार रू0 पच्चीस लाख एवं उससे अधिक अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाये। **नियम 13 (2)** के अनुसार निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाये तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एन0आई0सी0) की वेबसाईट से भी सम्बद्व होनी चाहिये।

नगर पालिका परिषद, रामनगर, नैनीताल (न0पा0प0) की क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 द्वारा अगस्त 2015 में रू0 34.70 लाख मूल्य की विधुत सामग्री क्रय की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	विधुत सामग्री का नाम	बिल संख्या एवं दिनांक	बिल की धनराशि
1.	ESEN INC. रामनगर नैनीताल	LED Street Light 90 watt	03/21.08. 2015	18,86,000
2.	ESEN INC. रामनगर नैनीताल	LED Street Light 25 watt	02/21.08. 2015	5,04,000
3.	देव इंटरप्राईजेज, हल्द्वानी	LED Street Light 45 watt	72/21.08. 2015	10,80,000
योग				34,70,000

न0पा0प0 द्वारा इस क्रय मे अपनायी गयी निविदा प्रक्रिया में समाचार पत्र उत्तर उजाला एवं राष्ट्रीय सहारा में निविदा हेतु विज्ञापन किया गया। उत्तर उजाला राष्ट्रीय समाचार पत्र न होकर एक स्थानीय समाचार पत्र है तथा उपरोक्त क्रय में राज्य सरकार/विभाग की वेबसाइट पर इस निविदा हेतु कोई सूचना प्रदर्शित नही की गयी।

इस प्रकार कार्यालय द्वारा रू0 34.70 लाख मूल्य के विधुत सामग्री के क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पद न0पा0प0 द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिये था।

अतः रू0 34.70 लाख मूल्य के विधुत सामग्री के क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2 : इकाई द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली के कारण शासन को `2,12,055/- के राजस्व की हानि |

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवम् इसी अधिनियम की अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाती है ताकि शासकीय आय में वृद्दि हो सके। **नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म.नि.नि./2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ठेकों पर ठेकों की सम्पूर्ण राशि के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए |** इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबन्ध स्टाम्प की धारा (2)(16) के अन्तर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

इकाई द्वारा ठेकों पर दी गई अचल सम्पत्तियों के अनुबन्धों की पत्रावलियों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (सितम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान दिये गये विभिन्न प्रकार के ठेकों पर संलग्नक 'क' के अनुसार `2,12,055/- के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की गई थी |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि सभी ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा ठेकेदारों से स्टाम्प शुल्क की बकाया धनराशि `2,12,055/- को वसूलने के बाद राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा विभिन्न ठेकों पर देय समस्त स्टाम्प शुल्क की वसूली के बाद ही कार्यादेश जारी करने चाहिए थे | इकाई द्वारा अनुबन्ध के समय स्टाम्प शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण शासन को `2,12,055/- के राजस्व की हानि हुई है |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक 'क'

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, नैनीताल द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों पर ठेकेदारों से कम वसूली गई स्टाम्प ड्यूटी का विवरण

क्रं.सं.	ठेके का प्रकार	ठेकेदार का नाम	ठेके का स्थान	ठेके की अवधि	ठेके की कुल धनराशि	स्टाम्प ड्यूटी		
						जो वसूल की जानी थी	जो वसूल की गई	अन्तर
1	तहबाजारी	श्री हरमिन्दर सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.12 से 31.03.13	1100000	22000	100	21900
2	ठेका पशु पं. एवं तहबाजारी	श्री गोपेश कुमार पपनै पुत्र श्री भवानी दत्त पपनै	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.12 से 31.03.13	370500	7410	100	7310
3	ग्रीन वैली रेस्टोरेन्ट (पालिका परिसर में स्थित)	श्री हेमचन्द नैनवाल पुत्र श्री जयकृष्ण नैनवाल	नगर पालिका परिसर	01.10.11 से 31.03.15	693000	13860	100	13760
4	ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित (KVR) कोशी व्यू कैंटीन	श्रीमती चंद्रकला पत्नी श्री दुर्गादत्त	नगर पालिका भूमि में स्थित	01.02.11 से 31.03.14	1080000	21600	100	21500
5	वाहन पार्किंग	श्री अमीर अहमद पुत्र श्री इब्राहिम	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.13 से 31.03.14	910000	18200	100	18100
6	तहबाजारी	श्री हरदीप सिंह पुत्र श्री हरमोहन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	04.07.13 से 31.03.14	745000	14900	100	14800
7	ठेका पशु पं. एवं तहबाजारी	श्री हारून पुत्र श्री ज़ाहिद	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.13 से 31.03.14	445000	8900	100	8800
8	कैन्टीन ।। पालिका परिसर के पीछे	श्री जितेंद्र पुत्र श्री गोविंद सिंह	नगर पालिका भूमि में स्थित	01.04.13 से 31.03.17	153600	3072	100	2972
9	ठेका पशु पं. एवं तहबाजारी	श्री हारून पुत्र श्री ज़ाहिद	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.14 से 31.03.15	486724	9734	100	9634

10	वाहन पार्किंग (काशीपुर/रानीखेत रोड)	श्री अतुल सक्सेना पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	29.11.14 से 31.03.16	64100	1282	100	1182
11	ठेका पशु पं. एवं तहबाजारी	श्री याकूब पुत्र श्री शौकत अली	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	650000	13000	100	12900
12	विज्ञापन	श्री शमीम अहमद पुत्र श्री मौ. रफी	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	72000	1440	100	1340
13	ग्रीन वैली रेस्टोरेन्ट (पालिका परिसर में स्थित)	श्री हेमचन्द नैनवाल पुत्र श्री जयकृष्ण नैनवाल	नगर पालिका परिसर	01.05.15 से 31.03.17	421245	8425	100	8325
14	तहबाजारी	श्री हेमचन्द नैनवाल पुत्र श्री जयकृष्ण नैनवाल	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	1270000	25400	100	25300
15	वाहन पार्किंग	श्री इमरान खान पुत्र श्री मम्मा खान	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	1051193	21024	100	20924
16	ठेका पशु पं. एवं तहबाजारी	श्री याकूब पुत्र श्री शौकत अली	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	1053727	21075	100	20975
17	वाहन पार्किंग (काशीपुर/रानीखेत रोड)	श्रीमती ज़रीना खातून पत्नी श्री महबूब हुसैन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	100786	2016	100	1916
18	विज्ञापन	श्री नीतिज चौधरी	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.06.16 से 31.03.17	25833	517	100	417
				कुल योग	**10692708**	**213855**	**1800**	**212055**

भाग दो (ब)

प्रस्तर 3 : गृहकर एवं दुकान किराये की वसूली `149.40 लाख का लम्बित रहना |

गृहकर एवं दुकान किराया किसी भी नगर पालिका की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगरपालिकाओं द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगरपालिकाओं को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

इकाई के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (सितम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निम्नानुसार गृहकर तथा दुकान किराये की वसूली की गई:-

तालिका 1: गृहकर वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	2581308	8360678	10941986	3549193 **(32%)**	7392793
02.	2015-16	7392793	8438045	15830838	4469123 **(28%)**	11361715
03.	2016-17	11361715	8345956	19707671	9488256 **(48%)**	10219415

तालिका 2: दुकान किराया वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	4100000	1938000	6038000	1212499 **(20%)**	4825501
02.	2015-16	4825501	1938000	6763501	1927866 **(29%)**	4835635
03.	2016-17	4835635	2139743	6975378	2254664 **(32%)**	4720714

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा गृहकर एवं दुकान किराये की कुल बकाया धनराशि **`149.40 लाख {(गृहकर `102.19 लाख+दुकान किराया `47.21 लाख)}** का वसूल किया जाना बाकी था |

इकाई द्वारा गृहकर के रूप में केवल **28** से **48** प्रतिशत तथा दुकान किराये के रूप में केवल **20** से **32** प्रतिशत की वसूली की जा रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है जबकि निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांकित 17 जुलाई 2014 के द्वारा भी सभी निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कर विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी तथा कर निर्धारण की प्रक्रिया विलम्ब से होने के कारण वसूली कम हुई है जिसे बढ़ाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं तथा बकायादारों से वसूली हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली की जा रही है | इकाई द्वारा माँग के अनुरूप वसूली न किए जाने के कारण निकाय की आय में निरन्तर कमी आ रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है | निकाय की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है |

अतः गृहकर एवं दुकान किराये की बकाया वसूली `149.40 लाख के लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 4 – ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना एवं रू0 14.91 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	**अनुपालन**
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

उपरोक्त के अलावा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016** के **बिन्दु 15(1)(ड.)** के अनुसार नगरीय निकाय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुये उपविधियां बनायेगा एवं समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, **बिन्दु 15(1)(यघ)** के अनुसार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बर्साती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कार्मिको को उपलब्ध करायेगा और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, **बिन्दु 15 (1)(यक) एवं (यख)** के अनुसार नगरीय प्राधिकारी प्रारूप IV में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास को दिनांक 30 अप्रैल एवं सचिव, शहरी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मई तक प्रेषित करेगा, **बिन्दु 15 (1)(ठ)** के अनुसार निकाय अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण देगा, **बिन्दु 25** के अनुसार यदि किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केन्द्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी अधिकारी प्रारूप–VI में घटना की रिपोट स्थानीय निकाय को भेजेगा, बिन्दु 15(1)(म एवं य) के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, रामनगर, नैनीताल (न0पा0प0) के ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 19.00 मीट्रिक टन अपशिष्ट के सापेक्ष 15.2 मीट्रिक टन अपशिष्ट को 07 वाहनों के माध्यम से घरों से बिना पृथकीकृत किये संग्रहित किया जा रहा था। परिक्षेत्र में कोई भी सामुदायिक बिन नहीं रखा गया था। उपयोग में लाये जा रहे

वाहन खुले थे। न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया एवं भू–भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया था। न0पा0प0 द्वारा नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष प्रेषित नहीं की जा रही थी। न0पा0प0 परिक्षेत्र में कोई भी कमपोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण नहीं उपलब्ध था जिसके कारण संग्रहित अपशिष्ट को बिना किसी प्रक्रिया के अप्रैल 2017 तक बस्ती से 100 मीटर दूर कोसी नदी के तट पर डाला जा रहा था (जैसा की निम्नलिखित फोटोग्राफ में प्रदर्शित है) जोकि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपत्ति किये जाने पर बस्ती से दूर राजस्व विभाग की भूमि पर डाला जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड परिक्षेत्र का वायु, भूगर्भीय जल एवं लीचेट (Leachate) की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में पालिका परिक्षेत्र में होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं था। उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के प्राधिकार में कप्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। न0पा0प0 द्वारा कोई उपविधि नहीं बनायी गयी थी, कार्मिको को बहुत ही अल्प मात्रा में सुरक्षात्मक उपकरण वितरित किये गये थे। अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। न0पा0प0 द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वच्छ भारत के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू0 14.91 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।
उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के पास बिन, वाहन एवं उपकरण में आवश्यक्ता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियां पायी गयी।

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		**आवश्यक्ता**	**उपलब्धता**	**कमी**
बिन (3.25 एम0टी0)		10	00	10
वाहन	छोटा हाथी	02	00	02
	कम्पैक्टर	01	00	01
उपकरण	कन्धा बिन	50	00	50
	गमबूट	40	10	30
	सक्शन मशीन	01	00	01

इस प्रकार न0पा0प0 द्वारा पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था।
सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि पूर्व से ही निर्धारित कूड़ाघरों पर ही कूड़ा एकत्रीकरण के पश्चात उठाया जाता है, भविष्य में कूड़ेदान लगाये जाने की योजना है। निकाय के पास उपलब्ध वाहन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है, आंशिक रूप से पालीथीन का पृथकीकरण किया जा रहा है, नियमों के अनुसार उपविधियां बनाये जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि भूमि की उपलब्धता न होने के कारण इस सम्बन्ध में कार्यवाही लम्बित है। समय समय पर सुरक्षा उपकरण सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाती है। भविष्य में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर

सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषित की जायेगी, बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्मिकों को प्रशिक्षण नही दिया गया, भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण की स्थापना सम्भव नहीं है, वार्षिक रिपोर्ट वर्तमान में नही भेजी जा रही है। भूमि की उपलब्धता न होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा 2016–17 में स्वच्छ भारत के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 14.91 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

अतः ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किये जाने एवं रू0 14.91 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 5: सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा निवृ त्त लाभ की धनरा श `2.31 करोड़ की देनदारी लंबित रहना।

पेंशन नियमावली के अनुसार सेवा निवृत्त होने वाले अ धकारियों/कर्मचारियों को सेवा निवृ त्त के साथ ही उनके सेवा निवृ त्त लाभ से संबन्धित देयकों का अ वलंब भुगतान कर दिया जाना चाहिए, ता क सेवा निवृ त्त के उपरांत कर्मचारियों को वत्तीय परेशानियों का सामना न करना पड़े एवं देनदारी लंबित न रहे।

नगर पा लका परिषद रामनगर, जनपद नैनीताल के सेवा निवृत्त अ धकारियों/ कर्मचारियों के देयकों से संबन्धित पत्राव लयों की जाँच में पाया गया क नगर पा लका के 105 सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन एवं सेवानिवृ त्त उपदान एवं छठे वेतनमान के लागू होने के उपरांत वेतन के लंबित बकाए आदि देयकों का भुगतान नहीं कया गया था। मार्च 2017 तक इकाई पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देयता निम्नवत थी: -

क्रमांक	देयता का प्रकार	कर्मचारियों की संख्या	देयता की धनरा श
1.	पेंशन बकाया	94	2,92,67,125.00
2.	सेवानिवृ त्त उपदान	64	1,66,50,299.00
		योग	4,59,17,424.00

कर्मचारियों के सेवानिवृ त्त के उपरांत लंबा समय बीत जाने के बाद भी इकाई द्वारा कर्मचारियों को उनके देयकों के भुगतान न कए जाने के संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया क अगस्त 2017 तक उपरोक्त धनरा श में से `2.28 करोड़का भुगतान कया जा चुका है एवं अवशेष धनरा श को राज्य वत्त से प्राप्त होने वाली आगामी कस्त से भुगतान कर दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क शासन द्वारा स्पष्ट कया गया था क निकायों में छठे वेतनमान लागू कए जाने के फलस्वरूप बढ़ने वाले वत्तीय भार का वहन निकाय नि ध से ही कया जाएगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वत्तीय सहायता पृथक से प्रदान नहीं की जाएगी इस लए इकाई को अपनी आय को बढ़ाकर एवं नियोजित ढंग से भुगतान कया जाना चाहिए था ता क इकाई पर देयता न बने।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 6: सेवा पुस्तिकाओं एवं अवकाश लेखों का अनिय मतरख-रखाव।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)/2011 दिनांक 08/03/2011 के संलग्नक-2 के अनुसार छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पुनरी क्षत वेतन संरचना में लागू ए.सी.पी. के अंतर्गत अनुमन्य वत्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्र क्रया को व र्णत कया गया है।

कार्यालय नगर पा लका परिषद, रामनगर, जनपद नैनीताल के अ धकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया क सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में उनके पारिवारिक ववरण, जी.पी.एफ़. नामांकन, डी.सी.आर.जी. नामांकन, पारिवारिक पेंशन नामांकन, कर्मचारी सामूहिक बीमा नामांकन आदि प्रपत्रों को अधतन/संलग्न नहीं कया जा रहा था। सेवा पुस्तिकाओं में सक्षम अ धकारी द्वारा कर्मचारियों की सेवाओं का वा र्षक सत्यापन एवं अवकाश लेखों को लंबे समय से अध्यतन नहीं कया गया था। जांच की गयी सेवा पुस्तिकाओं में छठवें वेतनमान लागू होने पर कए गए / ए.सी.पी. के अंतर्गत अनुमन्य वत्तीय स्तरोन्नयन/ढांचा स्वीकृत होने पर ग्रेड वेतन के उच्चीकरण में वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण कये गए थे (संलग्नक क)।

लेखपरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया क सेवा पुस्तिकाओं में अं कत त्रुटियों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क सेवा पुस्तिका एक महत्वपूर्ण अ भलेख है जिसका नियमानुसार अद्यतन कया जाना एवं उ चत वेतन निर्धारण कया जाना आवश्यक है ता क कर्मचारी को उ चत देय वेतन का भुगतान कया जाना सुनिश्चित कया जा सके।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक क

नगर पा लका परिषद रामनगर, जनपद नैनीताल के अ धकारियों/कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं की जांच में पायी गयी आप तयाँ

क्रमांक	नाम (सर्वश्री/श्रीमति)	पदनाम	आप त			
			प्रपत्र/अंगु लयों के चह्न	अवकाश लेखे	सेवा सत्यापन	वेतन निर्धारण संबंधी
1.	कमला	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	---
2.	वनय	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे। चह्न प्रमा णत नही कए गए थे।	31/12/08 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	18/02/16 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 1st एसीपी प्रदत्त नहीं की गयी थी।
3.	दीपक	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	----
4.	अरुण	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	---
5.	वशाल	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	-----
6.	तारावती	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	
7.	सुषमा	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	19/05/14 को 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 3rd एसीपी प्रदत्त नहीं की गयी थी।
8.	वजेंद्र प्रताप	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	31/12/08 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	---
9.	प्रमोद कुमार	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	-----
10.	सरोज	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/95 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	-----
11.	सरस्वती देवी	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	-----
12.	अनीता कुमार	पर्यावरण	प्रपत्र संलग्न	संलग्न नहीं	नहीं की	-----

		मत्र	नहीं थे।	थे।	गयी थी।	
13.	अक्षय कुमार	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	-----
14.	आकाश	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	-----
15.	राहुल	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	-----
16.	अनिल कुमार	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	-----
17.	हरलाल	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/98 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	-----
18.	सुनील	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	संलग्न नहीं थे।	नहीं की गयी थी।	-----
19.	मालती	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/95 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	01/01/06 को छठे वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण थे एवं तदनुसार ही ए॰सी॰पी॰/वा र्षक वेतन वृद् धयों की गणना की गयी थी। (बैंड वेतन 6330/- के स्थान पर 6260/- निर्धारित की गयी थी)।
20.	प्रदीप	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/98 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	उक्त कर्मचारी को 10.16 व 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अनुमन्य तीन ए॰सी॰पी॰ के स्थान पर दो ही प्रदत्त की गयी थी एवं उक्त हेतु सेवा की गणना भी त्रुटिपूर्ण थी।
21.	देवेंद्र संह	राजस्व मोहर्रिर	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/11 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	15/06/15 को पा लका ढांचा स्वीकृत होने के उपरांत ग्रेड वेतन में उच्चीकरण का लाभ प्रदत्त नहीं कया गया था।
22.	लल्ला मयां	राजस्व मोहर्रिर				15/06/15 को पा लका ढांचा स्वीकृत होने के उपरांत ग्रेड वेतन में उच्चीकरण का लाभ प्रदत्त नहीं कया गया था।
23.	फरीदा बेगम	राजस्व मोहर्रिर	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/15 के बाद अध्यतन नहीं किया	नहीं की गयी थी।	15/06/15 को पा लका ढांचा स्वीकृत होने के उपरांत ग्रेड वेतन में उच्चीकरण का लाभ

				गया था।		प्रदत्त नहीं कया गया था।
24.	उम्मेद संह बिष्ट	लाइन मैन	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/11 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	---
25.	महमूद अली	भस्ती	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/03 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	ग्रेड वेतन के उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं की गयी थी।
26.	ज़ाहिद हुसैन	ड्राईवर	सेवा पुस्तिका में वैयक्तिक ववरण के अतिरिक्त कोई भी प्र वष्टि नहीं की गयी थी।			
27.	चाँदनी	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	31/12/98 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	ग्रेड वेतन के उच्चीकरण के उपरांत की वेतन निर्धारण एवं 2015 के उपरांत वा र्षक वेतन वृद् ध की प्र वष्टियाँ सेवा पुस्तिका में नहीं की गयी थी।
28.	मुन्नी	पर्यावरण मत्र	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/95 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	01/09/20008 को प्रदत्त द्वितीय एसीपी पर वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था एवं 23/08/13 को 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 3rdएसीपी का लाभ नहीं दिया गया था।
29.	प्रेम प्रकाश	अनुसेवक	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	30/06/11 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	नहीं की गयी थी।	----
30.	भारत प्रकाश	राजस्व मोहर्रिर	प्रपत्र संलग्न नहीं थे।	31/11/12 के बाद अध्यतन नहीं किया गया था।	31/12/14 के बाद नहीं की गयी थी।	15/06/15 को पा लका नया ढांचा स्वीकृत होने के उपरांत ग्रेड वेतन में उच्चीकरण का लाभ प्रदत्त नहीं कया गया था।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, जनपद-नैनीताल** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2012-13** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **19 सितम्बर 2017** से **26 सितम्बर 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-32/2012-13/25 दिनांकित 01 जुलाई 2013	भाग 4(ब)-I – प्रस्तर संख्या 01 से 02	भाग 4(ब)-II – प्रस्तर संख्या 01	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-32/2012-13/25 दिनांकित 01 जुलाई 2013	--	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, जनपद-नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री मनोज कुमार दास	अधिशासी अधिकारी	21.08.11 से वर्तमान तक
02.	मौ. अकरम	अध्यक्ष	2008 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर, जनपद- नैनीताल** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/26 दिनांकित 27.09.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-248 003** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय